सत्यमेव जयते

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 11/2011-आईईएस/आईएसएस **दिनांक : 30.07.2011**

(आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 29.08.2011)

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011

(आयोग की वेबसाइट - http://www.upsc.gov.in)

संख्या 12/1/2011-प.1(ख) - भारत के राजपत्र दिनांक **30 जुलाई, 2011** में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा-2 में उल्लिखित सेवाओं के ग्रेड-IV में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **03 दिसम्बर, 2011** से एक सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी. परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अहमदाबाद	जयपुर
इलाहाबाद	जम्मू
बंगलौर	कोलकाता
भोपाल	लखनऊ
चण्डीगढ़	मुम्बई
चेन्नई	पटना
कटक	शिलांग
दिल्ली	शिमला
दिसपुर	तिरुवनंतपुरम
हैदराबाद	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर सकता है. यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिये उनकी पसंद के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विविक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है. जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा. किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक प्रपत्र अवश्य भेज देना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है. ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा, किन्तु **28 सितम्बर, 2011** के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

2. (क) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं के लिए भर्ती की जानी है उनके नाम तथा इन सेवाओं के ग्रेड-IV में रिक्तियों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :

भारतीय आर्थिक सेवा 19

भारतीय सांख्यिकी सेवा 46

टिप्पणी : भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए 3 रिक्तियां शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए (किसी भी वर्ग के अंतर्गत) आरक्षित हैं जिसमें सरकार द्वारा अभी फैसला किया जाना है.

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 के माध्यम से भारतीय आर्थिक सेवा के लिए शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित नहीं रखी गई है.

उपर्युक्त रिक्ति संख्या में परिवर्तन हो सकता है. सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा.

(ख) कोई भी उम्मीदवार नियमों के अनुसार पात्र होने पर केवल एक सेवा अर्थात् भारतीय आर्थिक सेवा अथवा भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए प्रतियोगी हो सकता है. आयोग द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग परिणाम घोषित किए जाएंगे.

महत्त्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है.

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है.

2. आवेदन कैसे करें

(क) उम्मीदवार, वेबसाइट http://www.upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों को भरने के लिये विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. तथापि **कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, जैसा कि इस नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित है,** आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये इस्तेमाल किए जा रहे **नये सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई)** का प्रयोग करके ऑफलाइन मोड के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह प्रपत्र **30/- रु. (तीस रुपये मात्र)** के नकद भुगतान पर देश भर के निर्दिष्ट किसी भी प्रधान डाकघरों/डाकघरों (नोटिस के परिशिष्ट-III में विनिर्दिष्ट) से खरीदे जा सकते हैं. ऐसा प्रत्येक प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है.

यदि उम्मीदवारों को किसी निर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर में आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो वे तत्काल संबंधित डाकपाल अथवा संघ लोक सेवा आयोग के **"फार्म सप्लाई निगरानी प्रकोष्ठ"** की **दूरभाष सं. 011-23389366/फैक्स सं. 011-23387310** पर संपर्क करें. यह नोट किया जाए कि सामान्य क्षेत्रों/विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र, यदि कोई हो, आयोग द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे. ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र का विकल्प केवल विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलबध है.

(ख) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के **परिशिष्ट-II (क)** में दिये गये **"ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश और परिशिष्ट-II (ख)** में दिए गए **ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेशों** को सावधानीपूर्वक पढ़ें.

3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन (सभी उम्मीदवारों से)

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **29 अगस्त, 2011 तक रात्रि 11 बजकर 59 मिनट** तक भरे जा सकते हैं, इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

(ख) ऑफलाइन (केवल उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों से)

केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों, जैसा कि इस नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित है के सभी ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र डाक/स्पीड पोस्ट से **05 सितम्बर, 2011** तक **"परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069"** तक अवश्य पहुंच जाएं. उम्मीदवार यह नोट करें कि दस्ती अथवा कूरियर के माध्यम से कोई आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य आयोग परिसर में गेट "सी" के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. **011-23385271/ 011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं.

5. मोबाइल फोन प्रतिबंधित

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है. इन अनुदेशों का कोई अतिलंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

(ख)उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित कोई प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.

6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है (केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर जिनका उल्लेख इस नोटिस के पैरा 6 में किया गया है, जिनके पास ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से आवेदन करने का विकल्प मौजूद है).

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जांबिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो.

परन्तु उपरोक्त (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए. जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसको भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जाने के बाद ही नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है.

(II) आयु-सीमाएं :

(क) उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2011 को पूरे 21 वर्ष हो जानी चाहिए, किन्तु 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1981 से पहले और 1 जनवरी 1990 के बाद का नहीं होना चाहिए.

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु-सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी.

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

(ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण पाने के लिए पात्र हैं.

(iii) ऐसे उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक.

(iv) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक.

(v) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 2011 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की हो और जो (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 2011 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है), या (ii) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता, या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

(vi) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पहली जनवरी, 2011 तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष तक.

(vii) नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष.

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II) (ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले व्यक्तियों, शारीरिक अक्षमता आदि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे.

टिप्पणी-2 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है.

टिप्पणी-3 : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीक सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा 3(II) (ख) (v) तथा (vi) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी-4 : उपर्युक्त पैरा 3(II) (ख) (vii) के अंतर्गत आयु में छूट के उपबंधो के बावजूद, शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी.

आयोग जन्म की वह तिथि स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो. ये प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं.

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगरनिगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अनुदेशों के इस भाग में आये हुए ''मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र'' वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं.

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तिथि को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और उसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जायेगा.

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखे कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तिथि एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की किसी अन्य परीक्षा में) किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि में उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरूद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

(III) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :

भारतीय आर्थिक सेवा के लिए उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र/व्यावसायिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवार के पास सांख्यिकी/ गणितीय सांख्यिकी/ प्रायोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए.

टिप्पणी-I : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है. जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है. ऐसे उम्मीदवारों को यदि अन्यथा पात्र होंगे, तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा. उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी-II : विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है.

टिप्पणी-III : जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विविक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है.

(IV) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 30 जुलाई, 2011 में यथा प्रकाशित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2011 की नियमावली के **परिशिष्ट-III** में दिये गये शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

4. शुल्क :

(क) ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों (महिला/अ.जा./अ.ज.जा./शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है) को कम किया गया **शुल्क 100/- रु. (केवल एक सौ रुपए)** अदा करना होगा जो वे भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा कराके अथवा भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके अथवा वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड के प्रयोग से कर सकते हैं.

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, जो **सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई)** के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करेंगे, उन्हें एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क स्टॅाम्प द्वारा **रु. 200/- (केवल दो सौ रुपये)** की फीस अदा करनी होगी. केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकटें नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें. जारी करने वाले डाकघर की तिथि की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर किंतु दिये गये स्थान के अंदर अपने आप आ जाए. रद्द किए गए टिकटों की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तिथि तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके.

सभी महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा. तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूरे शुल्क का भुगतान करना होगा.

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं के लिए चिकित्सा आरोग्यता (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों. आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से अक्षम होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

''केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट'' के स्थान पर किसी भी हालत में डाक टिकटें स्वीकार नहीं की जाएंगी.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि **बैंक ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान इत्यादि** आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा.

टिप्पणी-I : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

टिप्पणी-II : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा.

टिप्पणी-III : यदि कोई उम्मीदवार 2010 में ली गयी भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो उसे नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना ही अपना आवेदन प्रपत्र भेज देना चाहिए ताकि वह निर्धारित तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए.

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को **http://www.upsconline.nic.in** लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के पास आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले **सामान्य आवेदन-प्रपत्र (फार्म-ई)** के माध्यम द्वारा ऑफलाइन आवेदन करने का भी विकल्प है. आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल हैं, नोटिस के **परिशिष्ट-III** में सूचीबद्ध देश भर के **निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 30/- रु. (केवल तीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं.** प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं. **यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है.** उम्मीदवार, जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अनाधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए. चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए. आवेदन प्रपत्र को भरते समय, **कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II (ख) में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें.** उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए. **आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा. यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं होगा.** विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए **विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए.** लिफाफा **'परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069'** को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात **''भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011''** भी लिखना चाहिए.

(ख) उम्मीदवार नोट करें कि केवल **दूर-दराज के क्षेत्रों से सभी ऑफलाइन आवेदन केवल डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और दस्ती रूप से अथवा कूरियर द्वारा कोई आवेदन प्रपत्र नहीं स्वीकार किया जाएगा.

(ग) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, उनको या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं, उनको लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है.

टिप्पणी-I : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र का नाम भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए. एक ही उम्मीदवार द्वारा अलग-अलग केन्द्र दर्शाते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र, किसी भी स्थिति में, स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए

आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

टिप्पणी II : चूंकि इन सामान्य आवेदन प्रपत्रों की जांच संगणक पद्धति द्वारा की जाएगी, उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र को भरते समय पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए. सामान्य आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए आवश्यक अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में देखें. आवेदन प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें. अधूरे या त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों को अस्वीकार कर दिया जायेगा, ऐसे अस्वीकार किए गए आवेदन प्रपत्रों के बारे में किसी भी अभ्यावेदन अथवा पत्रचार पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा.

(घ) उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणी/शारीरिक विकलांगता आदि के दावों के समर्थन में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा. **परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा. यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.**

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम, जिसके जून, 2012 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें :

1. आयु का प्रमाण-पत्र.
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र जिसमें परीक्षा के विषयों का उल्लेख हों.
3. जहां लागू हो, वहां अ.जा, अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने का दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
5. जहां लागू हो, वहां शारीरिक रूप से अक्षम होने के समर्थन में प्रमाण-पत्र.

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए एक प्रपत्र भेजेगा. उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां इस प्रपत्र के साथ आयोग को भेजनी होंगी. मूल प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे. यदि उनके द्वारा किये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 30 जुलाई, 2011 में अधिसूचित भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 के नियमों के नियम 12 जो कि नीचे पुनः उद्धरित है के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है.

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना, या
(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, या
(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना, या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
(vi) उक्त परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अनियमित या अनुचित साधन अपनाना, या
(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
(viii) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, या
(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
(xiii) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करना या करने के लिए किसी को उकसाया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और साथ ही :

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है और/या

(ख) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए;
स्थायी रूप से या कुछ अवधि के लिए अपवर्जित, किया जा सकता है; और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा.
किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :
(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर उसको न दिया गया हो, और
(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो.

6. आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **29 अगस्त, 2011 तक रात्रि 11 बजकर 59 मिनट** तक भरे जा सकते हैं, इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

(ख) तथापि, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रह रहे उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प भी है. यदि ऐसे उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनसे केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त होने वाले ऑफलाइन आवेदन प्रपत्रों, जो कि उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों से पोस्ट किए गए हों, की अंतिम तारीख **05 सितम्बर, 2011** है.

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कालम 13 में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां वे रह रहे हैं, के क्षेत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा.

टिप्पणी : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उनका आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकार कर दिया जाएगा. अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं.

7. ऑफलाइन आवेदनों की पावती :

उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किए गए पावती कार्ड को उनके आवेदन की प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप आयोग कार्यालय द्वारा विधिवत मुहर लगाकर पावती कार्ड उम्मीदवार को भेज दिए जाएंगे. यदि ऐसा कोई उम्मीदवार 30 दिनों के अंदर पावती प्रमाण पत्र नहीं पाता है, तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र संख्या एवं परीक्षा का नाम और वर्ष दर्शाते हुए आयोग से अविलंब संपर्क करना चाहिए. केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है. उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किये जाने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा.

8. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र की स्थिति की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी. परीक्षा में प्रवेशित उम्मीदवारों को अनुक्रमांक दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा. प्रवेश प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा. **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से 3 सप्ताह पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.** ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी. इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/ 011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. **यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.** यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे. अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण है.

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा. यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा.

(ii) **केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है. आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी.** उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने तथा वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा. उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं.

(iii) उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही प्रवेश प्रमाण पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य आयोग के कार्यालय को लौटा दिए जाने चाहिए.

(iv) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना आयोग को यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

(v) यदि उम्मीदवार को निपटान की चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित प्रवेश प्रमाण पत्र मिल जाये तो उसे आयोग को तुरंत सही प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने के निवेदन के साथ लौटा दिया जाना चाहिए. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

महत्त्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

1. परीक्षा का नाम और वर्ष.
2. आवेदन प्रपत्र संख्या/रजिस्ट्रेशन आई.डी. संख्या.
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो).
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में).
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता.

विशेष ध्यान दें :

(i) **जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए.**
(ii) **यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.**

9. आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

10. परीक्षा की योजना, विषयों का स्तर तथा पाठ्यक्रम आदि का विवरण इस नोटिस के **परिशिष्ट-I** में देखा जा सकता है.

(कुलदीप कुमार सहरावत)
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना

खण्ड-1

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित होगी.

भाग-I : नीचे दिखाए गए विषयों में एक लिखित परीक्षा जिसके पूर्णांक 1000 होंगे.

भाग-II : आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, उनके लिए मौखिक परीक्षा जिसके पूर्णांक 200 होंगे.

भाग-I

भाग-I के अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है.

(क) भारतीय आर्थिक सेवा

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटे
3.	सामान्य अर्थशास्त्र-I	200	3 घंटे
4.	सामान्य अर्थशास्त्र-II	200	3 घंटे
5.	सामान्य अर्थशास्त्र-III	200	3 घंटे
6.	भारतीय अर्थशास्त्र	200	3 घंटे

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी	100	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	100	3 घंटे
3.	सांख्यिकी-I	200	3 घंटे
4.	सांख्यिकी-II	200	3 घंटे
5.	सांख्यिकी-III	200	3 घंटे
6.	सांख्यिकी-IV	200	3 घंटे

नोट : परीक्षा के लिए निर्धारित स्तर तथा पाठ्यचर्या का विवरण नीचे खण्ड-2 में दिए गए हैं.

2. सभी विषयों के प्रश्न पत्र परंपरागत (निबंध) प्रकार के होंगे.
3. **सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखने चाहिए. प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे.**
4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे. उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है.
6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जाएंगे.
7. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे.
8. कम से कम शब्दों में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढंग से की गई अभिव्यंजना को श्रेय दिया जाएगा.
9. प्रश्न-पत्रों में यथा आवश्यक एस.आई. इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा.
10. उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग की परंपरागत (निबंध) शैली के प्रश्न पत्रों के लिए साइंटिफिक (नान प्रोग्रामेबल) प्रकार के कैलकुलेटरों का प्रयोग करने की अनुमति है. यद्यपि प्रोग्रामेबल प्रकार के कैलकुलेटरों का प्रयोग उम्मीदवार द्वारा अनुचित साधन अपनाया जाना माना जाएगा. परीक्षा भवन में कैलकुलेटरों को मांगने या बदलने की अनुमति नहीं है.
11. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए.

भाग-II

मौखिक परीक्षा : उम्मीदवार का साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवनवृत्त होगा. साक्षात्कार का उद्देश्य उक्त सेवा(ओं) के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना होगा. साक्षात्कार उम्मीदवार की सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान के परीक्षण तथा क्षमताः को जांचने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक के रूप में होगा. उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रूचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रूचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रूचि लें जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है.

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं, अपितु स्वाभाविक, निर्देशित और प्रयोजनयुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की शक्ति को अभिव्यक्त करना है. बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों की बौद्धिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन की योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, पहल और नेतृत्व की क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जायेगा.

खण्ड-2
स्तर और पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नपत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होंगे.

अन्य विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित विषयों में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होंगे. उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धांत को तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करें और सिद्धांत की सहायता से समस्याओं का विश्लेषण करे. अर्थशास्त्र/सांख्यिकी के क्षेत्र में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं से विशेष रूप से परिचित हों.

सामान्य अंग्रेजी

उम्मीदवारों को एक विषय पर अंग्रेजी में निबंध लिखना होगा. अन्य प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जिससे उसके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान और शब्दों के कार्यसाधक प्रयोग की जांच हो सके. संक्षेपण अथवा सारलेखन के लिए सामान्यतः गद्यांश दिए जाएंगे.

सामान्य अध्ययन

सामान्य ज्ञान जिसमें सामयिक घटनाओं का तथा दैनिक अनुभव की ऐसी बातों का वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान भी सम्मिलित है जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो. इस प्रश्न पत्र में देश की राजनीतिक प्रणाली सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, भारत के इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए.

सामान्य अर्थशास्त्र-I

भाग - क :

1. उपभोक्ता की मांग का सिद्धांत : मूलाधार उपयोगिता विश्लेषण : सीमांत उपयोगिता और मांग, उपभोक्ता अधिशेष, अनधिमान वक्र विश्लेषण और उपयोगिता कार्य, मूल्य आय और स्थापना प्रभाव, स्लूटस्की प्रमेय और मांग वक्र ह्रास, प्रकटित अधिमान उपागम, द्वयात्मक और प्रत्यक्ष उपयोगिता कार्य और व्यय फलन, जोखिम और अनिश्चियता के अंतर्गत विकल्प.

2. उत्पादन के सिद्धांत : उत्पादन के कारक और उत्पादन, फलन, उत्पादन फलन के रूप; कॉब-डगलस, स्थिर लोच स्थापनापन्नता और नियत गुणांक प्ररूप. ट्रांसलोक उत्पादन फलन, प्रतिफल के नियम, प्रतिफल के अनुमाप, उत्पादन के प्रतिफल संबंधी कारक, द्वयात्मक तथा लागत फलन, फर्मों की उत्पादक क्षमता का माप, तकनीकी एवं निर्धारण क्षमता, आंशिक संतुलन बनाम सामान्य संतुलन उपागम - फर्म तथा उद्योग का संतुलन.

3. मूल्य के सिद्धांत : विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अंतर्गत कीमत निर्धारण, सार्वजनिक क्षेत्र कीमत निर्धारण, सीमांत, लागत कीमत निर्धारण चरम भार कीमत निर्धारण, प्रति आर्थिक सहायता मुक्त कीमत निर्धारण, तथा औसत लागत कीमत निर्धारण, मार्शल तथा वालरसन की स्थिरता विश्लेषण, अपूर्ण सूचना तथा व्यावहारिक संकटग्रस्त समस्याओं सहित कीमत निर्धारण.

4. वितरण के सिद्धांत : नव क्लासिकी वितरण सिद्धांत : कारकों की कीमत निर्धारण के लिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कारकों का योगदान तथा उनके समूहन की समस्या - आयलर प्रमेय, अपूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत कारकों का मूल्य निर्धारण, एकाधिकार और द्विपक्षीय एकाधिकार, रिकार्डो, मार्क्स, काल्डोर, कैलेकी के समिष्ट वितरण सिद्धांत.

5. कल्याण मूलक अर्थशास्त्र : अंतरवैयक्तिक तुलना तथा समूहन की समस्या सार्वजनिक वस्तुएं तथा निकासी, सामाजिक तथा वैयक्तिक कल्याण के बीच अपसरण, प्रतिपूर्ति सिद्धांत, पैरेटो का इष्टतमवाद, सामाजिक वरण तथा अन्य अभिनव स्कूल कोसे, और सेन तथा गेम विचारधाराओं सहित.

भाग - ख :

अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां

1. अर्थशास्त्र की गुणात्मक पद्धतियां : विभेदीकरण और एकीकरण तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, इष्टतमीकरण तकनीक, सेट्स, आव्यूह (मैट्रिसेज) तथा अर्थशास्त्र में उनका अनुप्रयोग, रैखिक बीजगणित और अर्थशास्त्र में रैखिक प्रोग्रामन और लिओनटिफ का निविष्ट - उत्पादन प्रदर्श (मॉडल).

2. सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय विधियां : केन्द्रीय प्रवृत्ति और परिक्षेपण का मापन, सहसंबंध और समाश्रयण, काल श्रेणी सूचकांक, प्रतिचयन एवं सर्वेक्षण विधियां, प्राक्कल्पना परीक्षण, सरल अप्राचलिक परीक्षण, विभिन्न रैखिक एवं अरैखिक फलनों पर आधारित वक्रोरेखन न्यूनतम वर्ग विधियां तथा अन्य बहुचर विश्लेषण न्यूनतम वर्ग विधियां तथा अन्य बहुचर विश्लेषण (केवल अवधारणा तथा परिणामों की व्यवस्था), प्रसरण का विश्लेषण, कारक विश्लेषण, मुख्य घटक विश्लेषण, विभेदी विश्लेषण, आय वितरण, पैरेटो का वितरण नियम, लघुगणक प्रसामान्य वितरण, आय असमानता का मापन, लौरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक.

सामान्य अर्थशास्त्र-II

1. आर्थिक विचारधारा : वाणिज्यवादी भू-अर्थशास्त्री, क्लासिकी, मार्क्सवादी, नव क्लासिकी, केन्स और मौद्रिकवादी स्कूल विचारधारा.

2. राष्ट्रीय आय तथा सामाजिक लेखाकरण की अवधारणा : राष्ट्रीय आय का मापन, सरकारी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन पर आधारित राष्ट्रीय आय के रोज़गार और उत्पादन के तीन प्रचालित मापों में अंतः संबंध, पर्यावरणीय प्रतिफल, ग्रीन राष्ट्रीय आय.

3. रोज़गार, उत्पादन, मुद्रा स्फीति मुद्रा और वित्त के सिद्धांत : क्लासिकी सिद्धांत एवं नव-क्वासिकी उपागम, संतुलन, क्लासिकी के अंतर्गत विश्लेषण और नव क्लासिकी विश्लेषण, रोजगार और उत्पादन कीन्स का सिद्धांत, कीन्सोत्तर विकास. स्फीति अन्तर; मांग उत्प्रेरित बनाम लागत जन्य स्फीति-फिलिप वक्र तथा उसके नीतिगत निहितार्थ. मुद्रा, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत. परिमाण सिद्धांत की फ्राइडमैन द्वारा पुनर्व्याख्या, मुद्रा की तटस्था, ऋणयोग्य निधियों की पूर्ति और मांग तथा वित्तीय बाजार में संतुलन, मुद्रा की मांग पर कीन्स का सिद्धांत.

4. वित्तीय और पूंजीगत बाजार : वित्त और आर्थिक विकास, वित्तीय बाजार, शेयर बाजार, गिफ्ट बाजार, बैंकिंग और बीमा. इक्विटी बाजार : प्राथमिक और द्वितीयक बाजार की भूमिका और कौशलता, व्युत्पन्न बाजार : भविष्य और विकल्प.

5. आर्थिक वृद्धि और विकास : आर्थिक वृद्धि एवं विकास की अवधारणा उनका मापन : अल्प विकसित देशों की विशेषताएं तथा उनके विकास के अवरोधक-वृद्धि, गरीबी और आय वितरण, वृद्धि के सिद्धांत : क्लासिकी उपागम : एडम स्मिथ, मार्क्स एवं शुम्पिटर-नव क्लासिकी उपागम, रॉबिन्सन, सोलो, कॉल्डोर एवं हैरोड डोमर. आर्थिक विकास के सिद्धांत, रोस्टॉव, रोसेन्स्टीन रोडन, नर्क्स, हिर्शचर्मन, लीबेन्सटिन एवं आर्थर लेविस, एमिन एवं फ्रैंक (आश्रित विचारधारा) राज्य तथा बाजार की अपनी-अपनी भूमिकाएं. सामाजिक विकास का उपयोगिवादी और कल्याणवादी उपागम तथा ए.के. सेन की समालोचना. आर्थिक विकास के लिए लेन की क्षमता उपागम. मानव विकास सूचकांक. जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता और मानव गरीबी सूचकांक.

6. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अभिलाभ, व्यापार की शर्ते, नीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत : रिकार्डो, हैबर्लर, हेक्सचर-ओहलिन तथा स्टॉपलर-सैमुअलसन-प्रशुल्क के सिद्धांत-क्षेत्रीय व्यापार प्रबंध.

7. भुगतान संतुलन : भुगतान संतुलन में विकृति, समायोजन तंत्र, विदेश व्यापार गुणक : विनिमय, दरें, आयात एवं विनिमय नियंत्रण तथा बहुल विनिमय दरें

8. वैश्विक संस्थाएं : आर्थिक मामलों से सम्बद्ध, संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय, मुद्रा कोष एवं विश्व व्यापार संगठन, बहुर्राष्ट्रीय निगम.

सामान्य अर्थशास्त्र-III

1. लोक वित्त : कराधान के सिद्धांत : इस्टतम कर और कर सुधार, कराधान के सूचक. सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत : सार्वजनिक व्यय के उद्देश्य और प्रभाव, सार्वजनिक व्यय नीति और सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण, सार्वजनिक निवेश निर्णयों के मानदण्ड, छूट की सामाजिक दर, निवेश के छाया मूल्य, अकुशल और विदेशी मुद्रा. बजटीय घाटा. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सिद्धांत.

2. पर्यावरणीय अर्थशास्त्र : पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद, समेकित पर्यावरणीय और आर्थिक लेखाकरण की संयुक्त राष्ट्र संघ की पद्धति. पर्यावरणीय मूल्य उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं का मूल्य. मूल्यांकन अभिकल्प, और प्रकटित अधिमानक पद्धतियां. पर्यावरणीय नीतिगत लेखों का प्रकल्प : प्रदूषण कर और प्रदूषण अनुज्ञा, स्थानीय समुदायों द्वारा सामूहिक कार्रवाई और अनौपचारिक विनियमन. निःशेषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के सिद्धांत. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण करार. जलवायु परिवर्तन की समस्याएं. क्योटो प्रोटोकाल, व्यापारयोग्य अनुज्ञा और कार्बन कर.

3. औद्योगिक अर्थशास्त्र : बाजार ढांचा, फर्मों का संचालन और कार्य निष्पादन, उत्पाद विभेदीकरण और बाजार संकेन्द्रण, एकाधिकारात्मक मूल्य सिद्धांत और अल्पाधिकारात्मक अंतरानिर्भरता और मूल्य निर्धारण, प्रविष्टि निवारक मूल्यनिर्धारण, स्तर निवेश निर्णय और फर्मों का व्यवहार, अनुसंधान और विकास तथा नवीन प्रक्रिया, बाजार, ढांचा और लाभकारिता, फर्मों की लोकनीति और विकास.

4. राज्य, बाजार और नियोजन : विकासशील अर्थव्यवस्था में नियोजन, नियोजन विनियमन और बाजार, सूचक नियोजन. विकेंद्रीकृत नियोजन.

भारतीय अर्थशास्त्र

1. विकास एवं योजना का इतिहास : वैकल्पिक विकास नीतियां : आयात स्थानापति और संरक्षण पर आधारित आत्मनिर्भरता का उद्देश्य और स्थिरीकरण एवं संरचनात्मक समायोजन-संवेष्टन पर आधारित 1991 के बाद की वैश्वीकरण नीतियां : राजकोषीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा व्यापार संबंधी सुधार.

2. संघीय वित्त : राज्यों के राजकोषीय और वित्तीय अधिकारों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग और करों में भागीदारी के विषय में उनके सूत्र, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का वित्तीय पक्ष, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधनों का वित्तीय पक्ष.

3. निर्धनता, बेरोजगारी तथा मानव-विकास : भारत में असमानता तथा निर्धनता उपायों का आकलन, सरकारी उपायों का मूल्यांकन, विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत का मानव संसाधन विकास, भारत की जनसंख्या नीति तथा विकास.

4. कृषि तथा ग्रामीण विकास संबंधी रणनीतियां : प्रौद्योगिकियां एवं संस्थाएं; भूमि संबंध तथा भूमि सुधार, ग्रामीण ऋण, आधुनिक कृषि निविष्टियां तथा विपणन, मूल्य नीति तथा उपादान- वाणिज्यिकरण तथा विशाखन. निर्धनता प्रशमन कार्यक्रम, सहित सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास तथा नवीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना.

5. नगरीकरण एवं प्रवसन के संबंध में भारत का अनुभव : प्रवसन प्रवाह के विभिन्न प्रकार और उद्भव तथा स्थानों की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव, नगरीय अधिवास की विकास प्रक्रिया; नगरीय विकास रणनीतियां.

6. उद्योग : औद्योगिक विकास की रणनीति : औद्योगिक नीति में सुधार, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति, प्रतिस्पर्धा नीति, औद्योगिक वित्त के स्रोत, बैंक, शेयर बाजार, बीमा कम्पनियां, पेंशन निधियां, बैंकेतर स्रोत तथा प्रत्यक्ष विदेश निवेश, प्रत्यक्ष निवेश एवं सूचीगत निवेश में विदेशी पूंजी की भूमिका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, निजीकरण तथा विनिवेश.

7. श्रम : रोज़गार, बेरोजगारी तथा आंशिक रोज़गार, औद्योगिक संबंध तथा श्रम कल्याण-रोज़गार सृजन के लिए रणनीति-नगरीय श्रम बाजार तथा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, श्रम संबंधी सामाजिक मुद्दे जैसे बाल-श्रम, बंधुआ मजदूर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और इसके प्रभाव.

8. विदेश व्यापार : भारत के विदेश व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, व्यापार की संरचना, दिशा तथा व्यवस्था, व्यापार, नीति संबंधी अभिनव परिवर्तन, भुगतान संतुलन, प्रशुल्क (टैरिफ) नीति, विनिमय दर तथा भारत और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अपेक्षाएं.

9. मुद्रा तथा बैंकिंग : वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार, भारतीय मुद्रा बाजार की व्यवस्था, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, विकास वित्तपोषण संस्थाओं, विदेशी बैंक तथा बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं की बदलती भूमिकाएं, भारतीय पूंजी बाजार तथा भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) वैश्विक वित्तीय बाजार का विकास तथा भारतीय वित्त से इसके संबंध.

10. मुद्रास्फीति : परिभाषा, प्रवृत्तियां, आकलन, परिणाम और उपाय (नियंत्रण) थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : अवयव और प्रवृत्तियां.

11. बजट निर्माण और राजकोषीय नीति : कर, व्यय, बजटीय घाटा, पेंशन एवं राजकोषीय सुधार, लोक ऋण प्रबंधन और सुधार, राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, भारत में काला धन तथा सामानान्तर अर्थव्यवस्था - परिभाषा, आकलन, उत्पत्ति, परिणाम तथा उपचार.

सांख्यिकी - I

(i) प्रायिकता

माप सिद्धांत के तत्व/प्रसिद्ध परिभाषाएं एवं अभिगृहीती दृष्टिकोण/प्रतिदर्श समष्टि/अनुवृतों के वर्ग एवं प्रायिकता माप/पूर्ण एवं मिश्र प्रायिकता के नियम, n अनुवृतों में से m अनुवृतों की प्रायिकता. सप्रतिबंधित प्रायिकता. बेज-प्रमेय. यादृच्छिक चर-असंतत एवं संतत. बंटन फलन. मानक प्रायिकता बंटन-बर्नूली, एक समान, द्विपद, प्वासों, ज्यामितिक आयताकार, चरघातांकी, प्रसामान्य, कौशी, पराज्यामितिक, बहुपदी, लाप्लास, नकारात्मक द्विपद, बीटा, गामा, लघुगणक प्रसामान्य एवं मिश्र प्वासों बंटन. संयुक्त बंटन, सप्रतिबंध बंटन यादृच्छिक चरों का बंटन फलन. बंटन में वितरण प्रायिकता में एक प्रायिकता के साथ तथा वर्ग माध्य में अभिसरण. आघूर्ण एवं संचयी. गणितीय प्रत्याशा एवं सप्रतिबंधन प्रत्याशा. अभिलक्षण-फलन एवं आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन. प्रतिलोमन, अद्वितीयता तथा सांतत्य प्रमेय. बोरल 0-1 नियम; कोल्मोगोरोव 0-1 नियम/शेवीशेफ एवं कोल्मोगोरोव की असमिका. स्वतंत्र चर के लिए वृहत संख्याओं का नियम तथा केन्द्रीय सीमा प्रमेय. सप्रतिबंध प्रत्याशा एवं मार्टिंगेल.

(ii) सांख्यिकीय विधि

(क) आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं प्रस्तुतीकरण, संचित्र, आरेख एवं आयतचित्र. बारंबारता बंटन. अवस्थित, प्रकीर्णन/परिक्षेपण, वैषम्य एवं ककुदता की माप. द्विचर एवं बहुचर आंकड़े. साहचर्य एवं आसंग. वक्रआसंजन एवं लंबकोणीय बहुपद. द्विचर प्रसामान्य बंटन. समाश्रयण-रैखिक, बहुपद. सहसंबंध गुणांक, आंशिक एवं बहु सहसंबंध, अंतवर्ग सहसंबंध सहसंबंधनुपात का बंटन.

(ख) मानक त्रुटि एवं वृहत प्रतिदर्श परीक्षण. x, S^2, t, काई वर्ग तथा F; का प्रतिचयन बंटन; इन पर आधारित महत्व का परीक्षण. लघु प्रतिदर्श परीक्षण.

(ग) अप्राचलिक परीक्षण-समंजन सुष्ठुता, साईन, माध्यिका, रन, विल्काक्सन, मान-विटनी, वाल्ड-वुल्फोविटस एवं कोल्मोगोरोव-स्मिरनोव. कोटिक्रम सांख्यिकी-न्यूनतम, अधिकतम, परास एवं माध्यिका. उपगामी आपेक्षिक दक्षता की अवधारणा.

(iii) संख्यात्मक विश्लेषण

अंतर्वेशन सूत्र (अवशेष पदों के साथ) लग्रांज के कारण. न्यूटन-ग्रेगोरी, न्यूटन का विभाजित अंतर, गाउस एवं स्टिरलिंग. ऑयलर-मैकलारिन संकलन सूत्र. प्रतिलोम अंतर्वेशन. संख्यात्मक समाकलन एवं अवकलन. प्रथम कोटि के अंतर समीकरण. नियत गुणांक के साथ रैखिक अंतर समीकरण.

सांख्यिकी-II

(i) रैखिक निदर्श

रैखिक आकलन के सिद्धांत. गाउस-मार्कोव (सैटअप) प्रेक्षस्थल. निम्नतम वर्ग आकलक. g-प्रतिलोम का उपयोग. एकधा एवं द्विधा वर्गीकृत आंकड़ों का विश्लेषण-नियत, मिश्र एवं यादृच्छिक प्रभाव निदर्श, समाश्रयण गुणांक का परीक्षण.

(ii) आकलन

अच्छे आकलक के लक्षण. अधिकतम संभाविता, निम्नतम काई-वर्ग, आघूर्ण एवं न्यूनतम वर्ग की आकलन विधि. अधिकतम संभाविता आकलक के इष्टतम गुणधर्म. निम्नतम प्रसरण अनभिनत आकलक. निम्नतम प्रसरण परिबद्ध आकलक. क्रामर-राव असमिका. भट्टाचार्य परिबद्ध. पर्याप्त आकलक. गुणनखंडन प्रमेय. पूर्ण सांख्यिकी राव-ब्लैकवेल प्रमेय. विश्वास्यता अंतराल आकलन. इष्टतम विश्वास्यता पटिबद्ध. पुर्नप्रतिदर्श, स्वोत्थानी एवं जैकनाईफ

(iii) परिकल्पना परीक्षण एवं सांख्यिकीय गुणता-नियंत्रण

(क) परिकल्पना परीक्षण : सरल एवं मिश्र परिकल्पना. दो प्रकार की त्रुटि. क्रांतिक कोण. विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र एवं समरूप क्षेत्र. क्षमता फलन. शक्ततम एवं एक समान शक्ततम परीक्षण. नेमेन-पियर्सन मूल लेमा. अनभिनत परीक्षण/ यादृच्छीकृत परीक्षण. संभाविता अनुपात परीक्षण वाल्ड, एस.पी.आर.टी., ओसी एवं ए. एस.एन. फलन. निर्णायक अवयव एवं खेल सिद्धांत.

(ख) सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण : चरों तथा गुण का नियंत्रण संचित्र. गुण द्वारा स्वीकरण प्रतिचयन- एकल, द्विधी, बहु और अनुक्रमिक प्रतिचयन आयोजना, ए.ओ.क्यू.एल. एवं ए.टी.आई. की अवधारणा चर द्वारा प्रतिचयन स्वीकरण-डॉज रोमिंग तथा अन्य टेबुलों का उपयोग.

(iv) बहुचर विश्लेषण

बहुचर प्रसामान्य बंटन. सदिश माध्य तथा सहप्रसरण आव्यूह का आकलन. होटलिंग का T^2 सांख्यिकी का वितरण. महालानोबिस का D^2 सांख्यिकी तथा परीक्षण में उनका उपयोग. बहुचर प्रसामान्य जनसंख्या से प्रतिदर्श में आंशिक एवं बहुसहसंबंध गुणांक. विशार्ट बंटन, इनके पुनरूत्पादन एवं अन्य गुणधर्म. विल्क निकर्ष. विविक्तकर फलन. मुख्य घटक. विहित विचर एवं सहसंबंध.

सांख्यिकी-III

(i) प्रतिचयन तकनीक

जनगणना बनाम प्रतिदर्श सर्वेक्षण. मार्गदर्शी एवं वृहत परिणाम प्रतिदर्श सर्वेक्षण. एनएसएस संगठन की भूमिका. प्रतिस्थापन युक्त एवं बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिक प्रतिचयन. स्तरित प्रतिचयन एवं प्रतिदर्श नियतन. लागत एवं प्रसरण फलन. आकलन की अनुपात एवं समाश्रयण विधि. प्रतिचयन के साथ प्रायिकता समानुपात के आकार. गुच्छ, द्विधी, बहुचरणी, बहुस्तरीय एवं क्रमबद्ध प्रतिचयन. परस्परवेधी उपप्रतिचयन. अप्रतिचयन त्रुटि.

(ii) प्रयोग की अभिकल्पना एवं विश्लेषण

प्रयोग की अभिकल्पना के सिद्धांत. पूर्णतया यादृच्छिकीकृत, यादृच्छिकीकृत खंडक एवं लैटिन वर्ग अभिकल्पना का विन्यास एवं विश्लेषण. 2^n तथा 3^n प्रयोग में बहुउपादानी प्रयोग तथा संयोजन. विभक्त क्षेत्रक एवं पट्टी क्षेत्रक अभिकल्पना. संतुलित तथा आंशिक संतुलित अपूर्ण खंडक अभिकल्पना की रचना एवं विश्लेषण. सहप्रसरण विश्लेषण. अस्वतंत्र आंकड़ों का विश्लेषण. अप्राप्त एवं सविकल्प क्षेत्रक आंकड़ों का विश्लेषण.

(iii) आर्थिक सांख्यिकी

कालश्रेणी के घटक. उनके निर्धारण की विधियां-विचरांतर विधि. युल-स्लुत्सकी प्रभाव. सहसंबंध चिन्ह. प्रथम तथा द्वितीय कोटि का स्वसमाश्रयी प्रतिरूप. आवर्तिता वक्र विश्लेषण. मूल्य तथा मात्रा के लिए सूचकांक एवं उनके आपेक्षिक गुण. थोक तथा उपभोक्ता मूल्य के लिए सूचकांक की रचना. आय वितरण-पेरेटो एवं ऐन्जल वक्र संकेन्द्र वक्र. राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि. अंतरात्रिज्यखंडी प्रवाह. अंतरा-औद्योगिक टेबुल. सीएसओ की भूमिका.

(iv) अर्थमिति

उपभोक्ता मांग के सिद्धांत एवं विश्लेषण-मांग फलन का विनिर्देशन एवं आकलन. मांग लोच (प्रत्यास्थता). संरचना एवं प्रतिरूप. एकल समीकरण प्रतिरूप में प्राचल का आकलन-चिरप्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग, व्यापकीकृत न्यूनतम वर्ग, विषम विचालिता, श्रेणीगत सहसंबंध, बहुसरेखता, चर प्रतिरूप में त्रुटि. समकालिकत समीकरण प्रतिरूप-पहचान, कोटि एवं अन्य अवस्थाएं. परोक्ष न्यूनतम वर्ग एवं द्वियीचरणी न्यूनतम वर्ग. अल्पकालीन आर्थिक पूर्वानुमान.

सांख्यिकी-IV

(i) प्रसंभाव्य प्रक्रम

प्रसंभाव्य प्रक्रम का विनिर्देश, मार्कोव श्रृंखलाएं, अवस्था वर्गीकरण, सीमांत प्रायिकता; अचर बंटन; यादृच्छिक भ्रमण एवं जुआरी का वित्तनाश समस्या. प्वासो प्रक्रम, जन्म एवं मृत्यु प्रक्रम; पंक्तियों का अनुप्रयोग-M/M/I तथा M/M/C प्रतिरूप. शारवन प्रक्रम.

(ii) संक्रिया विज्ञान

रैखिक प्रोग्रामन के तत्व प्रसमुच्चय प्रक्रिया. द्वैत नियम. यातायात एवं नियतन समस्याएं. एकल एवं बहुअवधि तालिका नियंत्रण प्रतिरूप. ABC विश्लेषण. व्यापक अनुकार समस्या. अपर्याप्त तथा विकृत मद के लिए प्रतिस्थापन प्रतिरूप.

(iii) जनसांख्यिकी एवं जन्म-मरण सांख्यिकी

वय सारणी, इसकी रचना एवं गुणधर्म. मेकहेम्स एवं गोमपर्ट वक्र. राष्ट्रीय वय सारणी. UN प्रतिरूप वय सारणी. संक्षिप्त वय सारणी. स्थायी एवं स्थावर जनसंख्या. अंतरज जन्म दर. संपूर्ण उर्वरता दर. सकल एवं वास्तविक जनन दर. अंतरज मृत्यु दर. मानकीकृत मृत्युदर. आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन; वास्तविक प्रव्रजन. अंतर्राष्ट्रीय एवं जनगणोत्तर आकलन. प्रक्षेपण विधि सहित वृद्धिघात वक्र समंजन. भारत में दशाब्दीय जनसंख्या जनगणना.

(iv) अभिकलित्र अनुप्रयोग एवं आंकड़ा संसाधन

(क) अभिकलित्र अनुप्रयोग

अभिकलित्र तंत्र की अवधारणा : अभिकलित्र प्रणाली के घटक एवं फलन. केन्द्रीय संसाधन, एकक मुख्य स्मृति, द्विभंक, बाईट, शब्द, निवेश/निर्गम युक्तियां, अभिकलित्र तंत्र में वेग एवं स्मृति क्षमताएं.

प्रक्रिया सामग्री की अवधारणा : प्रचालन पद्धति का पर्यवलोकन करना, प्रचालन पद्धति के प्रकार एवं फलन/प्रकार्य, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री, बहुकार्य निष्पादन के लिए प्रक्रिया सामग्री, बहुक्रमादेशन, प्रचय संसाधन विधि, कालभाजन विधि, तंत्र आलंब क्रमादेश की अवधारणा, शब्द संसाधन एवं स्प्रेडसीटों पर प्रचलित प्रक्रिया सामग्री संवेष्टन (पेकेज) का पर्यवलोकन.

विशिष्ट क्रमादेश के अनुप्रयोग का पर्यवलोकन : प्रवाह संचित्र, कलन-विधि का आधार, अधिकल्पना के मूल एवं कलनविधि का विश्लेषण, आंकड़ा संरचना, पंक्ति, चित्ति (स्टैक) का आधार.

(ख) आंकड़ा संसाधन : अंकीय संख्या पद्धति, संख्या रूपांतरण, पूर्णाकों का द्विआधारी निरूपण, वास्तविक संख्याओं का द्विआधारी निरूपण. तार्किक आंकड़ा अवयव जैसे संप्रतिक, क्षेत्र, अभिलेख, संचिका आंकड़ा प्रेषण एवं संसाधन के मूल त्रुटि नियंत्रण एवं त्रुटि संसाधन सहित.

आंकड़ा संचय प्रबंध : आंकड़ा संसाधन प्रबंध, आंकड़ा संचय एवं संचिका संगठन एवं संसाधन (क) प्रत्यक्ष (ख) अनुक्रमिक (ग) सूचित अनुक्रमिक संकिका. ग्राहक सेवित वास्तुकला की अवधारणा. आंकड़ा संचय प्रशासक. डीबीएसएस प्रक्रिया सामग्री का पर्यवलोकन.

परिशिष्ट-II (क)

ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को **http://www.upsconline.nic.in** का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा.

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र संबंधी प्रक्रिया की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार ''ड्रॉप डाउन मीनू'' के माध्यम से उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा, जिसके दो स्तर होंगे यथा भाग-I और भाग-II.

ऑनलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवार (केवल महिला/अ.जा./अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) को भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग करके 100/- रु. (एक सौ रुपये केवल) का कम किया गया शुल्क का भुगतान करना होगा.

ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी प्रारूप में विधिवत इस प्रकार स्कैन किया जाए कि प्रत्येक फाइल 40 केबी से अधिक नहीं हो.

ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 30 जुलाई, 2011 से 29 अगस्त, 2011 के दौरान रात 11 बजकर 59 मिनट रात्रि** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

परिशिष्ट-II (ख)

विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों (पैरा 6 में वर्णित) में रहने वाले उम्मीदवार, जो ऑफलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, के लिए सामान्य अनुदेश/मार्ग निर्देश.

सामान्य अनुदेश

1. उम्मीदवार, **संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध किसी विनिर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदी गई सूचना विवरणिका पुस्तिका के साथ दी गई ओ एम आर प्रविष्टियों पर आधारित केवल नए सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई) (मूल्य 30 रु.) का ही इस्तेमाल करें. प्रपत्र केवल विनिर्दिष्ट डाकघरों से ही खरीदे जाएं और किसी अन्य एजेंसी से नहीं. उम्मीदवार, सूचना विवरणिका के साथ उपलब्ध कराए गए प्रपत्र का ही प्रयोग करें और वे किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छाया प्रति/प्रतिलिपि/अनधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग न करें.** आयोग कार्यालय द्वारा प्रपत्र की आपूर्ति **नहीं** की जाएगी.
2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र अपने हस्तलेख में ही भरना चाहिए. चूंकि, इस आवेदन प्रपत्र की जांच कंप्यूटर मशीन द्वारा की जाएगी, उम्मीदवार **आवेदन प्रपत्र को संभालने और उसे भरने में पर्याप्त ध्यान दें. वृत्तों को काला करने के लिए वे केवल काले बाल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें. लिखने के लिए भी उन्हें काला बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए.**
   चूंकि कंप्यूटरीकृत मशीनों पर आवेदन प्रपत्रों की जांच करते समय उम्मीदवार द्वारा वृत्तों को काला करके की गई प्रविष्टियों पर ही ध्यान दिया जाएगा, इसलिए अपनी प्रविष्टियां काफी सावधानी से और सटीक रूप से भरनी चाहिए.
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची आदि और आयोग के साथ सभी पत्राचार, में अनुबद्ध किए गए हस्ताक्षर समरूप हों और उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता न हो. यदि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवार द्वारा अनुबद्ध किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.
4. मूल आवेदन प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
5. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह **सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन पत्र अंतिम तारीख को या उससे पूर्व आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए.** अंतिम तारीख के बाद आयोग कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय, अपने परीक्षा केन्द्र के चयन का निर्णय सावधानीपूर्वक करें. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दिए गए एक से अधिक आवेदन पत्र को, जिसमें अलग-अलग केन्द्रों का उल्लेख किया गया होगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. चाहे कोई उम्मीदवार एक से अधिक, पूर्ण भरे आवेदन पत्र भेजता है, आयोग अपने विवेक से केवल एक आवेदन को स्वीकार करेगा और इस मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.
7. **उम्मीदवारों को चाहिए कि वे पावती कार्ड पर अपना आवेदन प्रपत्र सं.** (जैसा कि प्रपत्र पर बार कोड के नीचे मुद्रित है) **और परीक्षा का नाम अर्थात् "भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011" लिखें.** उन्हें पावती कार्ड पर साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में अपने पत्राचार का पता लिखना चाहिए और कार्ड पर रु. 6/- (छह रुपए) का **डाक टिकट** चिपकाना चाहिए. **पावती कार्ड को आवेदन प्रपत्र के साथ स्टेपल या आलपिन लगाकर नत्थी न करें या प्रपत्र के साथ न चिपकाएं.**

पात्रता शर्तें (संक्षेप में)

(i) **आयु सीमा :**
1.1.2011 को 21 से 30 वर्ष है. (अजा/अजजा/अन्य पिछड़े वर्गों तथा नोटिस के पैरा 3(II) में यथानिर्दिष्ट कतिपय अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट है.)

(ii) **शैक्षिक योग्यताएं :**
भारतीय आर्थिक सेवा के लिए – अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र/व्यवसायिक अर्थशास्त्र/ अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री.
भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए – सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/प्रायोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री.
(नोटिस का पैरा 3(III) देखें)

(iii) **शुल्क :** विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों से ऑफलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए 200/- रु. (केवल दो सौ रु.) (केवल महिला/अ.जा./अ.ज.जा./विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं). (संदर्भ नोटिस का पैरा 4).

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 के लिए विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों से आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) भरकर ऑफलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

महत्वपूर्ण : इस प्रपत्र को भरने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।

कॉलम-1 आवेदन प्रपत्र पृष्ठ-1

कॉलम-1 : आवेदित परीक्षा (यदि पात्र हैं)
परीक्षा का नाम **INDIAN ECONOMIC SERVICE/INDIAN STATISTICAL SERVICE EXAMINATION, 2011** (केवल अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखें).
परीक्षा का वर्ष, **2011** लिखें.
परीक्षा कोड के रूप में वृत्त **12** को काला करें.

कॉलम 2 : उम्मीदवार का नाम
इस कालम को भरने के लिए, बॉक्सों में पहले अपना पूरा नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) ठीक वैसे ही लिखें, जैसा आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है. एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें. नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें तत्पश्चात, प्रत्येक अक्षर के नीचे के वृत्त को काला करें. खाली बॉक्स के नीचे वाले वृत्त को काला न करें. अपने नाम के साथ किसी उपसर्ग जैसे श्री, कुमारी, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कॉलम-3 : जन्म की तारीख.
अपने मैटि कुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज अपने जन्म के दिन, महीने और वर्ष के अंतिम दो संख्याओं के लिए उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-4 : लिंग
अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-5 : राष्ट्रीयता
अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-6 : वैवाहिक स्थिति
अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-7 : केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट
भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 के लिए देय शुल्क 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) है. महिला/अ.जा./अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.
शुल्क **केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट** (न कि डाक टिकट) के माध्यम से ही देय है. भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है. डाकघर से अपेक्षित मूल्य वर्ग का **केवल एक ही** के.भ.शु. टिकट लें और उसे अच्छी प्रकार से बॉक्स के अंदर चिपका दें. प्रपत्र पर के.भ.शु. टिकट चिपकाने के बाद, उसे उसी डाकघर से, जहां से वह खरीदी गई थी, यथास्थान पर निरस्त करवा लें.
के.भ.शु. टिकट को स्टेपल न करें.

कॉलम-8 : पिता का नाम
अपने पिता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) लिखें. प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें, नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें. किसी उपसर्ग जैसे श्री, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कॉलम-9 : माता का नाम
अपनी माता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) लिखें. प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें, नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें. किसी उपसर्ग जैसे सुश्री, श्रीमती, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कॉलम-10 : परीक्षा केन्द्र कोड
नीचे दी गई सूची में से उस उपयुक्त परीक्षा केन्द्र कोड का चयन करें, जहां आप भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 में सम्मिलित होना चाहते हैं. इसके बाद उपयुक्त वृत्तों को काला करें.

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2011 के लिए केन्द्रों और उनके कोडों की सूची

केन्द्र	कोड	केन्द्र	कोड	केन्द्र	कोड
अहमदाबाद	01	दिल्ली	08	मुम्बई	05
इलाहाबाद	02	दिसपुर	09	पटना	15
बंगलौर	03	हैदराबाद	10	शिलांग	16
भोपाल	04	जयपुर	11	शिमला	17
चंडीगढ़	35	जम्मू	34	तिरुवनन्तपुरम	19
चेन्नई	12	कोलकाता	06		
कटक	07	लखनऊ	26		

कॉलम-11 : शैक्षिक योग्यता कोड
नीचे दी गई सारणी में से संबंधित उचित कोड का चयन करें और अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें

कोड	शैक्षिक योग्यता
01	यदि आपने अर्थशास्त्र/प्रायोगिक अर्थशास्त्र/व्यवसायिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र सांख्यिकी विषय के साथ स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है/दे चुके हैं/दे रहे हैं.
02	यदि आपने सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/प्रायोगिक सांख्यिकी विषय के साथ स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है/दे चुके हैं/दे रहे हैं.

नोट : विनिर्धारित विषयों के लिए नोटिस के पैरा 3 (III) का अवलोकन करें.

कालम-12 : आयु में छूट संबंधी कोड
यदि आप आयु में छूट का दावा कर रहे हैं, नीचे दी गई सारणी में से सही वर्ग कोड का चयन करें और अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्तों को काला करें.

आयु में छूट के दावे हेतु वर्ग कोड (नोटिस के पैरा 3 (II) (ख) देखें)

कोड सं.	वर्ग		आयु सीमा में अनुमेय छूट
01	अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए		5 वर्ष
02	अ.पि.व. के लिए		3 वर्ष
03	दृष्टिहीन, मूक-बधिर, एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए		10 वर्ष
04	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्ति	+ अ.जा./अ.ज.जा.	15 वर्ष
05	दृष्टिहीन, मूक-बधिर एवं अस्थि रूप से विकलांग व्यक्ति	+ अ.पि.व.	13 वर्ष
06	किसी दूसरे देश के साथ या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए रक्षा कार्मिक		3 वर्ष
07	रक्षा सेवा के कार्मिक (जैसा कि कोड सं. 6 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	8 वर्ष
08	रक्षा सेवा के कार्मिक (जैसा कि कोड सं. 6 में)	+ अ.पि.व.	6 वर्ष
09	कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित जिन भूतपूर्व सैनिकों ने 1 जनवरी, 2011 को कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा की है और (i) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या निर्मुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 2011 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (ii) सैन्य सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या (iii) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं.		5 वर्ष
10	कमीशन प्राप्त तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिक) (जैसा कि कोड सं. 9 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा	10 वर्ष
11	कमीशन प्राप्त तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित भूतपूर्व सैनिक (जैसा कि कोड सं. 9 में)	+ अ.पि.व.	8 वर्ष
12	आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जिन्होंने 1 जनवरी, 2011 को सैन्य सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोज़गार के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह कि चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा.		5 वर्ष
13	आपातकालीन कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
14	आपातकालीन कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी (जैसा कि कोड सं. 12 में)	+ अ.पि.व.	8 वर्ष
15	ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो.		5 वर्ष

16	ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो (जैसा कि कोड सं. 15 में)	+ अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
17	ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो (जैसा कि कोड सं. 15 में)	+ अ.पि.व.	8 वर्ष

कॉलम-13 : सुदुर क्षेत्र

यदि आप परीक्षा के नोटिस के पैरा-6 में विर्निदिष्ट सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं, तो नीचे दी गई तालिका से संगत कोड का चयन करें तथा उपयुक्त गोले को काला करें.

सुदूर क्षेत्रों तथा विदेश के लिए क्षेत्र कोड

क्षेत्र	कोड	क्षेत्र	कोड
असम	01	जम्मू व कश्मीर	09
मेघालय	02	हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप-मंडल	10
अरुणाचल प्रदेश	03	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	11
मिज़ोरम	04	लक्षद्वीप	12
मणिपुर	05		
नागालैंड	06		
त्रिपुरा	07		
सिक्किम	08		

कृपया ध्यान दें : परीक्षा के नोटिस में निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्र में रह रहे उम्मीदवार ऑफलाइन केवल डाक/स्पीड पोस्ट से जमा कराने के लिए एक सप्ताह के अतिरिक्त समय के हकदार होंगे.

कॉलम-14 : अदा की गई शुल्क की राशि

यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा किया है तो संगत मूल्य वर्ग के गोले को काला करें; अथवा

यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा नहीं किया है और महिला, अ.जा., अ.ज.जा. अथवा शारीरिक रूप से अक्षम की हैसियत से शुल्क में छूट प्राप्ति का दावा किया है तो 'शुल्क में छूट' के गोले को काला करें.

कृपया ध्यान दें : कॉलम 7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार शुल्क केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में देय है.

कॉलम-15 : समुदाय

आप जिस समुदाय से संबंधित हैं, उसके सामने उपयुक्त गोले को काला करें.

टिप्पणी-1 : अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को, जो 'क्रीमी लेयर' में आते हैं और इस प्रकार, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपना समुदाय 'सामान्य-वर्ग' के रूप में दर्शाना चाहिए.

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार जो न तो अ.जा., अ.ज.जा. के और न ही अ.पि.व. समुदायों के हैं उन्हें समुदाय वाले कालम में (सामान्य-वर्ग) को काला करना चाहिए तथा उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में दर्शाए गए समुदाय की स्थिति में, आयोग द्वारा साधारणतः बाद में किसी स्तर पर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कॉलम-16 : अल्पसंख्यक संबंधी स्थिति

यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम/ईसाई/सिक्ख/बौद्ध/पारसी) से संबंधित हैं तो अपने मामले में लागू उपयुक्त गोले को काला करें.

कॉलम-17 : शारीरिक रूप से विकलांग

यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग (अस्थि विकलांग/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित) से संबंधित हैं, तो उपयुक्त गोले को काला करें.

कॉलम-18 : पता

अपना पूरा डाक का पता, जिसमें आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इस प्रयोजन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें. दिए गए बॉक्स में पिन कोड भी लिखें. केवल **काले बॉल प्वाइंट पैन से लिखें.** बॉक्स से बाहर न लिखें. कृपया नोट कर लें कि आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों पर इसी पते की फोटो कॉपी का प्रयोग किया जाएगा और इसलिए यह स्पष्ट रूप से लिखा और पठनीय होना चाहिए.

यदि पता लिखने में आपसे कोई चूक हो जाती है तो उसी आकार की सफेद कागज के एक पर्ची को उस पूरे बॉक्स पर चिपका दें और अपना पता उस पर फिर से लिख दें.

कॉलम-19 : फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

अपना हाल ही का 3.5 सें.मी. × 4.5 सें.मी. आकार का फोटोग्राफ, जिसमें आपका नाम एवं **जन्म की तारीख मुद्रित हो, दिए गए स्थान में अच्छी तरह से चिपका दें. फोटोग्राफ को स्टेपल न करें. फोटोग्राफ न तो आपके द्वारा हस्ताक्षरित हो और न ही अनुप्रमाणित होना चाहिए. आप अपने हस्ताक्षर काले बॉल प्वाइंट पेन से फोटोग्राफ के नीचे दिए गए स्थान पर भी करें.**

आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ 2

कॉलम-20 से 27 :

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इनमें से कोई भी कालम भरने की आवश्यकता नहीं है. अतः उन्हें इन कालमों को खाली छोड़ देना चाहिए.

कॉलम-28 : घोषणा

उम्मीदवार हस्ताक्षर करने से पहले घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और उसके बाद हस्ताक्षर करें.

कॉलम-29 :

अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, इस उद्देश्य के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें.

कॉलम-30 : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अपने सामान्य हस्ताक्षर दिए गए बॉक्स के अन्दर काले बॉल पेन से करें. आपके हस्ताक्षर दिए गए बॉक्स से न बाहर जाएं और न ही उसकी सीमा को छुएं. **हस्ताक्षर के स्थान पर केवल बड़े अक्षरों में अपना नाम न लिखें.** अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे.

प्रपत्र पर स्थान तथा हस्ताक्षर करने की तारीख भी इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान पर लिखें.

कॉलम-31 : दिए गए बॉक्स में अपना एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नम्बर लिखें.

कॉलम-32 : दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नम्बर लिखें.

कॉलम-33 : दिए गए बॉक्स में अपना ई-मेल आई डी लिखें.

आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले निम्नलिखित की जांच कर लें कि :

1. आपने केवल निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदे गए नए आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई), जिनका मूल्य 30/- रु. है, का प्रयोग किया है.
2. आपने आवेदन प्रपत्र के सभी संगत कॉलमों अर्थात् 1 से 19 और 28 से 33 के उपयुक्त वृत्तों को काला करके भर दिया है.
3. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 में अपना हाल ही का फोटोग्राफ (अहस्ताक्षरित एवं असत्यापित) जिस पर आपका नाम और जन्मतिथि लिखी हो, चिपका दिया है.
4. यदि आपके द्वारा शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है तो आपने अपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 7 में अपेक्षित मूल्यवर्ग का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट चिपकाया है तथा इसे जारी करने वाले डाकघर द्वारा रद्द करवाया है.
5. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 के नीचे दिए गए बॉक्स में और कॉलम 30 में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर किया है.
6. आपने पावती पत्र पर निर्धारित स्थान पर साफ-साफ अक्षरों में अपना आवेदन प्रपत्र सं. और अपना पता लिख दिया है.
7. आपने पावती पत्र पर 6/- (केवल छह रु.) का डाक टिकट चिपका दिया है.
7. विवरणिका के साथ आपको दिए लिफाफे में केवल एक आवेदन प्रपत्र तथा एक पावती कार्ड भेजा जा रहा है तथा **इसके साथ अन्य कोई संलग्नक नहीं है.**
9. आपने आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड को भेजने वाले लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् **''भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2011''** लिख दिया है.

परिशिष्ट-III

मुख्य डाकघरों/डाकघरों की सूची जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन पत्र उपलब्ध है.

असम मंडल : गुवाहाटी, बरपेटा, धुबरी, डिब्रुगढ़, डिफू, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, मंगलदोई, नगांव, नलबारी, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया.

हिमाचल प्रदेश मंडल : चम्बा, केलांग.

जम्मू एवं कश्मीर मंडल : श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, जम्मू, कथुआ, लेह, राजौरी, ऊधमपुर, गांधीनगर मुख्यालय, जानीपुर, जम्मू छावनी, साम्बा.

केरल मंडल : कावारत्ती **(लक्षद्वीप)**.

उत्तर-पूर्व मंडल : अगरतला, ऐजल, धर्मनगर, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, राधाकिशोरपुर, शिलांग, तुरा.

पश्चिम बंगाल मंडल : पोर्ट ब्लेयर **(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)**, गंगटोक **(सिक्किम)**.

परिशिष्ट-IV

परम्परागत प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में ले जाने वाली वस्तुएं :

केवल ''नान-प्रोग्रामेबल'' प्रकार का बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर, गणितीय, इंजीनियरी, आरेखन उपकरण जिसमें एक ऐसा चपटा पैमाना, जिसके किनारे पर इंच तथा इंच के दशांश तथा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान दिए हों, एक स्लाइडरूल, सैट स्क्वायर, एक प्रोटेक्टर और परकार का एक सैट, पेंसिलें, रंगीन पेंसिलें, मानचित्र के कलम, रबड़, टी-स्कवायर तथा ड्राइंग बोर्ड यथा अपेक्षित प्रयोग के लिए साथ लाने चाहिए. उम्मीदवारों को प्रयोग के लिए परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की सारणी अथवा चार्ट साथ लाने की अनुमति नहीं है.

मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती.

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सारणियां :

किसी प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक समझे जाने पर आयोग निम्नलिखित वस्तुएं केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराएगा :-

(i) गणितीय, भौतिकीय, रासायनिक तथा इंजीनियरी संबंधी सारणियां (लघु गणक सारणी सहित)

(ii) भाप (स्टीम) सारणियां-800^0 सेंटीग्रेड तक तापमान तथा 500 के.जी.एफ./सेंटी मी. वर्ग तक के दबाव के लिए प्रशमन (मोलियर) आरेखों (डायग्राम) सहित.

(iii) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 अथवा 1983 ग्रुप 2 भाग 6

(iv) प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य विशेष वस्तु. परीक्षा समाप्त होने पर उपर्युक्त वस्तुएं निरीक्षक को लौटा दें.

3. उत्तर अपने हाथ से लिखना :

उत्तरों को स्याही से अपने हाथ से लिखें. पेंसिल का प्रयोग मानचित्र, गणितीय आरेख अथवा कच्चे कार्य के लिए किया जा सकता है.

4. उत्तर-पुस्तिका की जांच :

उम्मीदवार को प्रयोग में लाई गई प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका पर इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में केवल अपना अनुक्रमांक लिखना चाहिए (अपना नाम नहीं). उत्तर-पुस्तिका में लिखना शुरू करने से पहले कृपया यह देख लें कि वह पूरी है. यदि किसी उत्तर-पुस्तिका के पन्ने निकले हुए हों, तो उसे बदलवा लेना चाहिए. उत्तर-पुस्तिका में से किसी पृष्ठ को फाड़ें नहीं. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर-पुस्तिका का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम उत्तर-पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर कुल प्रयोग की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की संख्या अंकित कर देनी चाहिए. उम्मीदवारों को उत्तरों के बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए. यदि ऐसे स्थान छोड़े गए हों तो उम्मीदवार उसे काट दें.

5. निर्धारित संख्या से अधिक दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा :

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए. यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं तो केवल निर्धारित संख्या तक पहले जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा. शेष का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.

6. उम्मीदवार को ग्राफ/सार लेखन वाले प्रश्नों के उत्तर ग्राफ शीट/सार लेखन शीट पर ही देने होंगे जो उन्हें निरीक्षक से मांगने पर उपलब्ध कराए जाएंगे. उम्मीदवार को सभी प्रयुक्त या अप्रयुक्त खुले पत्रक जैसे सार लेखन पत्रक, आरेख पत्र, ग्राफ पत्रक आदि को, जो उसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दिए जाएं, अपनी उत्तर पुस्तिका में रखकर तथा अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका(एं) यदि कोई हों, के साथ मजबूती से बांध दें. उम्मीदवार यदि इन अनुदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक इन शीटों पर न लिखें.

7. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही :

उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा. प्रत्येक उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके उत्तरों की नकल किसी अन्य उम्मीदवार ने नहीं की है. यह सुनिश्चित न कर पाने की स्थिति में अनुचित तरीके अपनाने के लिए आयोग द्वारा दंडित किए जाने का भागी होगा.

8. परीक्षा भवन में आचरण :

उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें जैसे कि परीक्षा हाल में अव्यवस्था फैलाना या परीक्षा के संचालन के लिए तैनात स्टाफ को परेशान करना या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाना. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा.

9. कृपया परीक्षा हाल में उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों को पढ़ें तथा उनका पालन करें.

डीएवीपी 55104/14/0025/1112 **रो.स. 18/102**